□

सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक – 22.11.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में सओजी/सर्विलासं एवं थाना आटा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 32 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा (अनुमानित कीमत करीब 06 लाख) व एक अदद पिस्टल के साथ 03 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि जनपद में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम/तस्करी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस एवं थाना आटा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम चमारी मोड़ के पास से 03 अभियुक्तगण को एक बेलोरो गाड़ी में 32 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा व एक अदद पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना आटा में अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग ये गांजा मांग के अनुसार विभिन्न जनपदो में बेचने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. संजय त्रिपाठी पुत्र प्रेमलाल त्रिपाठी नि0 कबाडी टोला जवान सिंह कलोनी थाना फुलगवां जनपद सतना म0प्र0
2. कमलेश प्रजापति पुत्र श्री रामदयाल प्रजापति नि0 भगवन्तपुरा थाना ओरछा जनपद छतरपुर म0प्र0
3. दयानिधि मिश्रा उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 रामनिधि मिश्रा नि0 सिन्धी कलोनी थाना फुलगवां जनपद सतना म0प्र0

अभि0- संजय त्रिपाठी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 189/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आटा जनपद जालौन उ0प्र0
2. मु0अ0सं0 21/05 धारा -294/323/34/506 भादवि थाना सभापुर म0प्र0

अभि0- कमलेश प्रजापति उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 189/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आटा जनपद जालौन उ0प्र0
2. अ0सं0 772/20 धारा 188 भादवि व 71(1)(a) म0प्र0 प0हे0 एक्ट थाना कोतवाली मुरैना म0प्र0
3. मु0अ0सं0 216/22 धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम थाना भलुमदा म0प्र0

अभि0- दयानिधि मिश्रा उर्फ गुड्डू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0स0 189/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आटा जनपद जालौन उ0प्र0

02.मु0अ0सं01295/23 धारा 294/323/34/506 भादवि थाना कोलगवान म0प्र0

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 32 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा (कीमत करीब 06 लाख रूपये)
2. एक अदद पिस्टल
3. एक बेलोरो गाडी नं0 UP95U 6368।

पुलिस टीम -

3. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस सेल मय टीम।
4. थानाध्यक्ष आटा मय टीम।